जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक 17.02.2024**

थाना बाबरी

थाना बाबरी पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए बाबरी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम फतेहपुर में हुई युवक की हत्या में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल अवैध चाकू बरामदः-

दिनांक 14.02.2024 को श्री सुन्दर पुत्र श्री सोमपाल निवासी ग्राम फतेहपुर थाना बाबरी जनपद शामली के पुत्र **सूरज उम्र करीब 21 वर्ष** की हत्या अभियुक्त मनीत पुत्र तेजबीर निवासी ग्राम फतेहपुर थाना बाबरी जनपद शामली द्वारा धारदार हथियार से कर देने के सम्बन्ध में थाना बाबरी पर सूचना प्राप्त हुई थी। उक्त सूचना पर तत्काल उच्चाधिकारीगण, स्थानीय पुलिस व फॉरेंसिक टीम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र करते हुये, मृतक के शव का पंचायतनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया था। घटना के सम्बन्ध में मृतक के पिता श्री सुन्दर द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना बाबरी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना में लिप्त अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु थानाध्यक्ष बाबरी को निर्देशित किया गया।

इसी क्रम में दिनांक 16.02.2024 को श्री अभिषेक, पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित/हत्या में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी से सम्बन्धित अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी थानाभवन के निकट पर्यवेक्षण में थाना बाबरी पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए बाबरी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम फतेहपुर में युवक की हत्या में वांछित अभियुक्त मनीत पुत्र तेजबीर निवासी ग्राम फतेहपुर थाना बाबरी जनपद शामली को घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल अवैध चाकू सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बाबरी पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तारशुदा अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मेरा व मृतक सूरज का अच्छा दोस्ताना था। मैंने दो महीने पूर्व सूरज का मोबाइल लिया था तथा एक दो दिन वापस नहीं किया था जिसके लिए उसने मेरे घर पर शिकायत कर दी थी और मेरे भाई ने मुझसे बहुत भला बुरा कहते हुये मेरी बहुत बेइज्जती की थी। इस बात से मैं क्षुब्ध था। दिनांक 14.02.2024 को मैं, सूरज को उसके घर से बुलाकर शराब पीने के लिए ग्राम फतेहपुर के जंगल में ले गया था। वहाँ मैंने चाकू से सूरज पर वार किया जिसके बाद वह चाकू लगने के बाद गांव की तरफ भागने लगा। मैने उसका पीछा कर रास्ते में पकडकर पुनः सूरज पर चाकू से वार किये और मैं मौके से भाग गया।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.मनीत पुत्र तेजबीर निवासी ग्राम फतेहपुर थाना बाबरी जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.एक अदद अवैध चाकू (आलाकत्ल)।

आपराधिक इतिहास गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्तः-

1.मु0अ0सं0 14/2024 धारा 302 भादवि व 3(2)5 एससी एसटी एक्ट थाना बाबरी जनपद शामली।

2.मु0अ0सं0 144/2022 धारा 380/411/457 भादवि थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली।

3.मु0अ0सं0 124/2022 धारा 380/411/457 भादवि थाना बाबरी जनपद शामली।

4.मु0अ0सं0 340/2022 धारा 380/411/457 भादवि कोतवाली शामली जनपद शामली।

5.मु0अ0सं0 90/2020 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना कांधला जनपद शामली।

लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012
मुख्य बातें

थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा लूट/चोरी की योजना बनाते हुए 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध हथियार बरामदः-

दिनांक 16.02.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान लूट/चोरी की योजना बना रहे 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है, जिनके कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर व 01 अवैध चाकू बरामद हुआ है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

1.सागर पुत्र राकेश निवासी ग्राम पावटी कला थाना कैराना जनपद शामली।

2.संदीप पुत्र पवन निवासी ग्राम पावटी कला थाना कैराना जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त सागर उपरोक्तः-

1.मु0अ0सं0 1/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना कैराना जनपद शामली।

2.मु0अ0सं0 124/2021 धारा 392/411 भादवि थाना कैराना जनपद शामली।

3.मु0अ0सं0 127/2021 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना कैराना जनपद शामली।

4.मु0अ0सं0 129/2021 धारा 414 भादवि थाना कैराना जनपद शामली।

5.मु0अ0सं0 307/2021 धारा 379/411 भादवि थाना झिंझाना जनपद शामली।

6.मु0अ0सं0 483/2020 धारा 406/411/420 भादवि थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

7.मु0अ0सं0 586/2020 धारा 379 भादवि थाना कैराना जनपद शामली।

8.मु0अ0सं0 1/2022 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम थाना कैराना जनपद शामली।

9.मु0अ0सं0 284/23 धारा 380/411 भादवि थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.एक अवैध तमंचा मय एक जिन्दा कारतूस 315 बोर।

2.एक अवैध चाकू।

थाना आदर्श मण्डी पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध हथियार बरामदः-

आज दिनांक 17.02.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में थाना आदर्श मण्डी पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है, जिसके कब्जे से 01 तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना आदर्श मण्डी पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.आमिर पुत्र नाजिर निवासी ग्राम टपराना थाना झिंझाना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध 01 तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्तः-

1.मु0अ0सं0 118/2017 धारा 323/498ए/504/506 भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम थाना झिंझाना जनपद शामली।

2.मु0अ0सं0 308/2022 धारा 60 आबकारी अधिनियम व 272/273 भादवि थाना झिंझाना जनपद शामली।

<u>उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अन्तर्गत शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरूद्व प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में हत्या के मामले में 03 हत्याभियुक्तों को माननीय न्यायालय मुजफ्फरनगर द्वारा सुनाई आजीवन कारावास की सजा एवं 17,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया।</u>

ज्ञात हो दिनांक 18.01.2015 को थाना कोतवाली शामली क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बलवा में अभियुक्तगण 1.इकराम पुत्र आबिद 2.इमरान पुत्र आबिद 3.ईनाम पुत्र आबिद निवासीगण ग्राम बलवा थाना कोतवाली जनपद शामली द्वारा वादी श्री नासिर पुत्र मजर हसन निवासी ग्राम बलवा थाना कोतवाली शामली के चाचा जुल्फान पुत्र मंजूर हसन की चाकूओ से गोदकर हत्या कर दी गयी थी। घटना के संबंध में वादी द्वारा थाना कोतवाली शामली पर तहरीर दाखिल की गयी थी। दाखिल तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शामली पर मु0अ0सं0 25/2015 धारा 302,34 भादवि पंजीकृत किया गया था। इस मामले में अभियुक्तगणों को तत्काल गिरफ्तार कर आलाकत्ल अवैध चाकू की बरामदगी करते हुये न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था। उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरुप शामली पुलिस द्वारा नियमित रुप से प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 17.02.2024 को माननीय न्यायालय ADJ-11 मुजफ्फरनगर द्वारा उक्त प्रकरण में अभियुक्तगण इकराम, इमरान, ईनाम उपरोक्त को धारा 302/34 भादवि में आजीवन कारावास व 5,000-5000/-रुपये अर्थदण्ड, तथा अभियुक्तगण इकराम, ईनाम उपरोक्त को धारा 4/25 आयुध अधिनियम में 01-01 वर्ष का कारावास व 1,000-1,000/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

<u>नाम पता अभियुक्तगणः-</u>

1.इकराम पुत्र आबिद निवासी ग्राम बलवा थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

2.इमरान पुत्र आबिद निवासी ग्राम बलवा थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

3.ईनाम पुत्र आबिद निवासी ग्राम बलवा थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI